MOONGIPA SECURITIES LTD.

January 17, 2019

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
25th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 539199

Sub: Newspaper Advertisement Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copy of Newspaper advertisement of the Notice of Board Meeting to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 publish in 'Mahalaxmi Bhagyoday' (Hindi) & 'Money Makers' (English) dated January 17, 2019.

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,
For **Moongipa Securities Limited**

Sanjeev

(Sanjeev Jain)
Company Secretary and Compliance Officer

(CIN : L74899DL1994PLC057941)
Regd. Office : 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005. Ph. : 011-41450121
E-mail : moongipas@gmail.com, Website : www.moongipa.net

The Union Minister for Textiles, Smt. Smriti Irani releasing the Millennium Post + Industry for Textiles Booklet, in New Delhi.

After Baisoya foul-up, ABVP's Shakti Singh promoted as DUSU president

Our Correspondent
New Delhi/January 16

Citing a Delhi high court's order, the Delhi University (DU) on Tuesday promoted DU Students' Union (DUSU) vice-president and a member of RSS-affiliated Akhil Bhartiya Vidhyarthi Parishad's (ABVP) Shakti Singh as president.

According to a notice issued by the university election committee on Tuesday that was undersigned by six officials, including DU chief election officer VK Kaul: "In compliance with the order of the honourable Delhi High Court dated 18 December, 2018, the DUSU election committee 2018-19 declares the promotion of Mr Shakti Singh, vice president DUSU 2018-29 as president DUSU 2018-19."

The president's post fell vacant in November last year after the DU administration cancelled the admission of former ABVP member Ankiv Baisoya for using a "forged" mark sheet to seek admission. The move comes after receiving confirmation from Tamil Nadu-based Thiruvalluvar University that an undergraduate marksheet submitted by Baisoya to seek admission to the DU was "fake". The University had also filed a police complaint against Baisoya.

Calling it a "moral victory", Singh said that the students' union will now work for the cause of students under his leadership. "Half of the academic session is already over and DUSU could not do anything in the absence of a president. Now I will make sure ABVP will work to fulfill all the promises we made ahead of the DUSU elections," he said.

Soon after Baisoya's election as DUSU president on September 13, 2018, Congress-affiliated National Students' Union of India (NSUI) had accused him of submitting a fake mark sheet to secure admission in the DU. NSUI had later moved the Delhi High Court seeking fresh election on the post. However, the court had dismissed the plea.

NSUI, however, termed the development as "wrong interpretation" of the court's order. "The university has been hands in glove with the ABVP from the beginning. They first delayed the inquiry against Baisoya by two months to avoid re-election on the post. And, now they are wrongly interpreting the court order that nowhere says mentions or suggests Singh's promotion to the post. The University has set a very bad precedent," NSUI Delhi state president Akshay Lakra said.

Members of left-backed All India Students Association (AISA) also criticised the move. "DU's order of promoting Shakti Singh is not at all surprising. It's an administration's gift to the ABVP. The student community will give a befitting reply to the ABVP in the next election," said Kawalpreet Kaur, AISA Delhi president.

Five-year-old in Delhi dies after alleged assault by mother's live-in partner

Our Correspondent
New Delhi/January 16

A five-year-old boy died after he was assaulted allegedly by his mother's live-in partner for failing to recite the numeric table at his home in southwest Delhi's Samalkha village near Kapashera, police said on Tuesday.

The incident took place on January 10. The child died during treatment at a private hospital two days later.

Police said the boy's mother, a private school teacher, and her live-in partner concealed the crime by allegedly claiming that the boy started feeling dizzy after eating a 'ladoo(sweet)' and fell in the bathroom, because of which he suffered injuries in his head and other parts of the body. However, their claims fell flat when the boy's autopsy report confirmed that he died of serious head injuries and physical assault, said police.

Deputy commissioner of police (southwest) Devendra Arya said a case of murder and criminal conspiracy with common intention was registered against the boy's mother and her live-in partner at the Kapashera police station.

"The case was registered on a complaint filed by the child's biological father. The woman's live-in partner, Narender, has been arrested. We are questioning the woman to ascertain his role in the entire crime. As of now we have established that she lied to the doctors by claiming that her son fell in the bathroom," said Arya.

"We interrogated Narender and he revealed that the child's head hit a concrete wall while he was beating him for not reciting numeric table properly. The child's mother was not at home when the incident took place. Narender informed her about the incident after admitting the child at the hospital," the DCP added.

Police said the boy's father in his complaint told them ithat in April 2018, the woman left her husband's home with her son and started living with Narender in a rented home in Samalkha village, said police.

> The incident took place on January 10. The child died during treatment at a private hospital two days later. Police said the boy's mother, a private school teacher, and her live-in partner concealed the crime by allegedly claiming that the boy started feeling dizzy after eating a 'ladoo(sweet)' and fell in the bathroom, because of which he suffered injuries in his head and other parts of the body. However, their claims fell flat when the boy's autopsy report confirmed that he died of serious head injuries and physical assault, said police.

"In the past, the child had told his father that Narender used to beat him. The father did not take his son's complain seriously," said a police officer, associated with the case. On January 10, police said, the woman called her husband on his cell phone number and informed that their son was admitted in a private hospital. He reached the hospital where his wife told him that their son had fallen sick after eating a ladoo and suffered injuries after falling in the bathroom. The man filed the complaint when doctors told him about the autopsy report, said police.

24-year-old forced to drink spiked juice, allegedly gangraped near Delhi mall

Our Correspondent
New Delhi/January 16

A 24-year-old woman has alleged that she was sexually assaulted by her friend and his two accomplices in a stationary car here after making her drink juice containing sedatives near a mall, a police officer said on Tuesday. The police said the incident occurred on Monday night when a passerby saw the woman crying near a car at Cross River Mall in east Delhi's Shahdara and informed the police. "The police reached the spot and arrested the victim's friend, later identified as Amit, 30. We are investigating the role of Amit's friends in the crime who are at large," Deputy Commissioner of Police Meghna Yadav told IANS. "During the investigation, we found that Amit, a businessman, who is a native of Uttar Pradesh's Baghpat, befriended the victim through a common friend some two months ago after he promised to get her home loan at a cheaper rate," The DCP said. "A resident of Seelampur in Delhi, the victim was called by Amit for a meeting on Monday near Cross River Mall. During the meeting, according to the statement of victim, Amit, accompanied by two friends, gave her juice with sedatives. As she fell unconscious, she was gang-raped by the three accused," Yadav added. The police have registered a case of rape against Amit on the complaint of victim and are interrogating him to establish the role and identify his two friends, she added.

Rajpath to be turned into boulevard; to get fountains, parking space

Our Correspondent
New Delhi/January 16

Rajpath will soon wear a new look. The New Delhi Municipal Council (NDMC) had two rounds of meeting with Union ministry of housing and urban affairs in past one-and-ahalf months to finalise a plan to transform Rajpath into a boulevard.

The redevelopment plan included rejuvenation of water channel, installation of fountains, redevelopment of water bodies, building a parking facility for 1,000 vehicles, kiosks, water dispensers and other utilities.

Sharing details of the project in the 2019-20 budget presentation, NDMC chairman Naresh Kumar said, "Rajpath is the centre of attraction in the city and everyday thousands of people visit the area. We aim to give a modern look to the place. Though the CPWD is the maintenance agency for lawns around India Gate, we proposed the idea to the MOUA secretary Durga Shanker Mishra few months back to redevelop the area.

After that, we had two rounds of meeting with officials."

"Now, we have been asked to submit a detailed plan for the project. Besides, there is also plan to develop C-hexagon and Shantipath as a part of our efforts to develop world class public places," he said.

The NDMC also proposed introduction of fibre optics cable television services, so people won't have to buy set top boxes, which will reduce monthly cable bills. In next week, the facility will become operational in Connaught Place area on a pilot basis.

NDMC chairman said the civic agency will be raising a "second generation" of trees, which could replace the nearly century-old "heritage trees" — mainly neem and pilkhan — on the verge of collapse in Lutyens' Delhi. Most heritage trees were planted nearly a century ago.

Several old trees have been indentified in NDMC areas which may fall in the next 10-15 years, therefore a second generation (of similar varieties) of plants are planned to be grown at a 25-acre land near Yamuna Bank, officials said.

Working on the concept of digitalising all public services, NDMC proposes to open digital public art gallery at Children's Park, India Gate, four common service centres to facilitate government services at one place and integrating online health license system with Delhi Police and Delhi Fire Services records to simplify process for holding public events.

"Under public art gallery initiative, platform would be created to promote students to showcase various art forms digitally such as photography, paintings, installations.

The Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Shri Rajiv Bansal lighting the lamp to inaugurate the 'Sanrakshan Kshamta Mahotsav- 2019', in New Delhi.

Panic buttons, CCTVs in all NDMC schools to augment security

Our Correspondent
New Delhi/January 16

The New Delhi Municipal Council (NDMC) plans to install emergency buttons and close circuit cameras in open areas of all schools to augment security of students, in its budget for financial year 2019-20. "We want to constantly monitor activities inside NDMC schools," said NDMC chairman Naresh Kumar. The smart safety buttons will work with the help of communication network developed by TATA and used by civic agency for other services. The system has been installed at NP Bengali Girls Senior Secondary School, Gole Market on a pilot basis. "As soon as someone presses the emergency button, an alarm will sound in the principal's room and security kiosks of the school. Also, text messages will be sent to the pre-stored mobile numbers," said Kumar. Giving a push to sports and extra curricular activities, the civic agency aims to construct auditorium at 14 schools. "Further, last year we started football coaching for under-10 girls students at three schools. On the same lines, we aim to start football academy for under-10 boys at three schools," said Kumar. To simplify the process of issuing birth and death certificate, the New Delhi Municipal Council has announced 'block chain technology' for receiving birth and death certificates applications. "Under the scheme, a system —which can be accessed by hospitals and health department — will be developed. The system will help in feeding and accessing data related to birth and death of a person on real time basis," said an official. The civic agency plans to install health ATMs at four places — at Palika Kendra dispensary, Charak Palika Hospital, Dharam Marg Polyclinic and and TB Polyclinic — for screening and detecting 40 health-related problems.

HC orders deferring MR vaccine campaign in Delhi after parents' objection

MM BUREAU
New Delhi/January 16

The Delhi High Court on Tuesday deferred the implementation of the 'Measles and Rubella vaccine immunisation campaign' (MR campaign) by the Delhi government stating that vaccination cannot be administered "forcibly" and without the consent of parents.

The vaccination drive, which was to start Wednesday, would cover more than 55.5 lakh children — between the ages of 9 months and 15 years — within five weeks.

"For now, we have deferred the vaccination campaign till the next hearing scheduled on January 21. We are studying the order and looking at how to seek consent," said

Dr Nutan Mundeja, Delhi's director general of health services.

Justice Vibhu Bakhru said that the petitioner's contention that giving the vaccines without the consent of the parents is "merited", adding that consent is the precondition for vaccinations.

The court's order came while hearing pleas by parents of a few minor students at city's schools alleging that the MR campaign is a "violation of the fundamental rights" of the students as consent had not been taken from their wards.

Appearing for the Delhi government, its standing counsel, Ramesh Singh, submitted that an "opt out" option could be created for the parents who do not want their wards to get the vaccination, which was objected to by the petitioners.

"Since it is apparent that the consent of the parents is not obtained and respondent are proceeded on the basis that the consent is not necessary, the campaign for administering the MR campaign is deferred till further orders from the court," the court said.

At least 220 million children from 30 states and union territories have already been vaccinated under the nationwide campaign that started in 2017.

"The campaign in Delhi, as in the other states, was based on implied consent. In case of public health programmes, consent is said to be implied unless a person wants to opt out. People can refuse the vaccine, of course, we will not be forcing anybody," said Dr Suresh Seth, Delhi's state programme officer for immunisation. The campaign is also underway in Madhya Pradesh and Bihar, with only three more states — West Bengal, Sikkim, and Rajasthan — remaining to be covered. "This is a unique situation; so far, none of the other states have had a petition filed against the campaign, except for Kerala where too the court quashed it," said Dr Pankaj Bhatnagar of the World Health Organisation's National Polio Surveillance Programme, which is responsible for observing the coverage of the MR vaccine as well. The plea filed by the students, through advocate Abhinav Mukherjee, had alleged that the Centre had mentioned that the vaccine would not be administered without informed consent of parents. However, the Delhi government issued directions to compulsorily inject children in the age group of nine months to less than 15 years, with an admittedly "new vaccine", called the MR vaccine (to prevent disease of measles and rubella) and without taking into account the past vaccination history of the child, where in the child has already been vaccinated for the said diseases. The petition had sought restraining the government.

MOONGIPA SECURITIES LIMITED
(CIN : L74899DL1994PLC057941)
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi -110005. Tel: +91-011-41450121
Email : moongipas@gmail.com Website: www.moongipa.net

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, January 31, 2019, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.

Investor may visit the Websites of the Company www.moongipa.net and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA SECURITIES LIMITED
Sd/-
Sanjeev Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Place : Delhi
Date : January 16, 2019

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED
(CIN : L65993DL1987PLC028669)
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi -110005. Ph.: 011-41450121
Email : moongipac@gmail.com Website : www.mongipa.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, January 31, 2019, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.

Investor may visit the Websites of the Company www.mongipa.com and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED
Sd/-
Lakshay Dudeja
Company Secretary & Compliance Officer
Place : Delhi
Date : January 16, 2019

केंद्रीय कपड़ा मंत्री, श्रीमती. स्मृति ईरानी ने 16 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में कपड़ा पुस्तिका के लिए मिलेनियम पोस्ट + उद्योग जारी किया।

दिल्ली में यहां जाम से रोजाना बर्बाद होता है 5 लाख का ईंधन

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 जनवरी

मयूर विहार फेज-1 क्रासिंग पर बन रहे फ्लाईओवर के चलते लगने वाले जाम से रोजाना करीब पांच लाख रुपये का ईंधन बर्बाद हो रहा है। पूरे दिन यहां से गुजरने वाले वाहनों को औसतन 15 मिनट के ठहराव के साथ गुजरना पड़ता है। ऐसे में धन, ईंधन व समय की बबार्दी के साथ-साथ फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति के कारण भारी मात्रा में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। नोएडा से अक्षरधाम मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर वर्ष 2015 से फ्लाईओवर बन रहा है। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में परिवहन विभाग के प्रो. डॉ. सेवाराम के मुताबिक, इस रूट पर औसतन रोजाना एक तरफ से 70 हजार वाहन गुजरते हैं।

वहीं, सुबह-शाम के समय वाहनों की संख्या बाकी दिन के मुकाबले काफी अधिक होती है। ऐसे में पीक आवर्स में जाम की वजह से औसतन 350 लीटर ईंधन प्रति घंटा बर्बाद होता है। इस हिसाब से पूरे दिन में करीब पांच लाख रुपये का ईंधन यहां बर्बाद हो जाता है।

उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों में दिल्ली में वाहनों की संख्या में 40 % का इजाफा हो गया है। इसके चलते ऐसे बॉटल नेक्स पर प्रदूषण बढ़ने के साथ ईंधन की खपत भी अधिक हो रही है।

वहीं, उर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने बताया कि हमारे देश में लगभग 83% ईंधन आयात किया जाता है। ऐसे में बर्बाद होने वाले ईंधन की कीमत विदेशी मुद्रा में आंकि तो सिर्फ दिल्ली में ही करोड़ों का डीजल रोजाना बर्बाद होता है। उन्होंने बताया कि सड़कों पर मौजूद बॉटल नेक्स को वक्त रहते दूर करने की आवश्यकता है, ताकि धन, ईंधन और समय की बबार्दी कम करने के साथ ही प्रदूषण पर भी लगाम लगाई जा सके।

निगम से सेवानिवृत इंजीनियर इन चीफ दीपक मुखोपाध्याय के मुताबिक, आम तौर पर इस प्रकार की योजनाओं में देरी होने पर लागत लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। नियमों के मुताबिक, अगर योजना में देरी, निर्माण कंपनी की तरफ से होता है तो उसका जुमार्ना कंपनी को देना होता है।

मगर, अगर किसी अन्य वजहों जैसे कि कोर्ट केस या सरकारी देरी के कारण योजना लटकती है तो सरकार को उसका व्यय उठाना पड़ता है।

पूर्वी दिल्ली सांसद महेश गिरी ने कहा कि बारापुला फेज-3 फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर पीडब्ल्यूडी और मुख्य सचिव को कई बार पत्र लिखा है।

मगर, यह कार्य अब तक पूरा नही हो सका है। अब उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करूंगा।

ई कॉमर्स में अनैतिक लॉबिंग पर कैट ने बड़ी कंपनियों को लताड़ा

भूपेश जैन
नई दिल्ली, 16 जनवरी

सरकार द्वारा हाल ही में ई कॉमर्स में एफडीआई पालिसी पर जारी स्पष्टीकरण के खिलाफ विदेशी तथा बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा विरोध एवं मोर्चा खोलने तथा पालिसी में बदलाव लाने के लिए पुरजोर लॉबिंग करते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अनैतिक लॉबिंग के लिए जमकर लताड़ा और चेतावनी दी की यदि पालिसी में कोई बदलाव हुआ तो देश भर के व्यापारी उसका जबरदस्त विरोध करेंगे और पूरे देश में इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा! कैट ने यह भी कहा की इन कंपनियों द्वारा वर्षों से उपभोक्ताओं को लूटने वाली साजिशों को अभियान में बेनकाब किया जाएगा ! देश भर के व्यापारी किसी भी सूरत में ई कॉमर्स एवं अन्य माध्यमों से देश के रिटेल व्यापार पर इन कंपनियों का कब्जा नहीं होने देंगे !

आज नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने सरकार से मांग की है की विदेशी एवं बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा पिछले वर्षों में किये गए व्यापार की जांच की जाए और जिसने भी पालिसी का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए! उन्होंने यह भी मांग की की देश में एक मजबूत ई कॉमर्स पालिसी तुरंत घोषित की जाए वहीं दूसरी ओर पालिसी को सख्ती से लागू करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी गठन

किया जाए जिसको पालिसी के उल्लंघन करने पर दंड, पेनल्टी एवं अन्य कार्रवाई करने का भी पूरा अधिकार हो! उन्होंने यह भी मांग की है की पालिसी के नियम घरेलू ई कॉमर्स कंपनियों पर भी समान रूप से लागू किये जाएँ जिससे ई कॉमर्स बाजार में एकरूपता बनी रहे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण हो और किसी भी तरह का अनैतिक व्यापार न हो सके! श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने आरोप लगाते हुए कहा की इन कंपनियों के व्यापारिक व्यवहार से फेमा सहित अनेक कानूनों का उल्लंघन हुआ है जो की बेहद गंभीर विषय है और इस दृष्टि से इन कम्पनियों के कार्यकलापन की जांच किया जाना बेहद जरूरी है! उन्होंने यह भी कहा की ई कॉमर्स में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए सरकार को इन कंपनियों के लिए एक कानून पालन सर्टिफिकेट लेना बाध्य करना चाहिए और वर्तमान वर्ष के लिए यह तारीख 31 मार्च 2019 निश्चित की जाए! यह भी प्रावधान किया जाए की जब तक सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया जाए तब तक वो अपना ई कॉमर्स पोर्टल बंद रखे और उस पर कोई व्यापार न करें साथ ही जब तक सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक ऐसी कम्पनी कोई फण्ड भी न जुटा सके!

श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल कहा की अनेक ई कॉमर्स कंपनियां और उनके अमरीका स्तिथ चैम्बर एवं संगठन तथा देश के कुछ औद्योगिक संगठन तथा विदेशी फाईनेंसर एक नापाक गठजोड़ बनाकर पालिसी को अपने पक्ष में परिवर्तित कराने हेतु सरकार पर दबाव बना रहे है और यहाँ तक की अपना व्यापार समेट लेने की धमकी भी दे रहे हैं! श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने कहा की उनकी धमकी भरी दबाव नीति का हम कड़ा विरोध करते हैं और इन कंपनियों को यह समजह लेना चाहिए की भारत का ई कॉमर्स व्यापार स्वयं पर निर्भर है न की उनकी दया पर !यदि उन्हें भारत से अपना व्यापार समेटना है तो वो जल्दी से समेट ले ! भारतीय व्यापारी देश के ई कॉमर्स बाजार को बेहतर तरीके से संभल लेंगे ! दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा की वर्ष 2016 के प्रेस नोट 3 का उल्लंघन करते हुए ई कॉमर्स कंपनियों ने विभिन्न स्तरों पर अपनी ही कंपनियों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को माल बेच कर एक तरह से जालसाजी की है! अनेक शिकायतों के बावजूद सरकार ने इसको अनदेखा किया जिससे इन कंपनियों ने हौंसले और बुलंद हो गए और उन्होंने और अधिक खुलकर लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, बड़े डिस्काउंट देना, अनेक तरह की सेल लगाकर बड़े पैमाने पर सरकार की नीति और मंशा की धज्जियाँ उड़ाई हैं!

विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय पर नोटिस

भूपेश जैन
नई दिल्ली, 16 जनवरी

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), जो बैंक अधिकारियों के 3,20,000 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था हैं द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका विजया बैंक और देना बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रस्तावित समामेलन और 02.01.2019 को प्रकाशित समामेलन की योजना के विरूद्ध की गई है। याचिका में विलय के साथ आगे बढ़ने में अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। संबंधित तीन बैंकों के बोर्ड, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, ने स्वतन्त्र रूप में निर्णय लेने के स्थान पर सरकार के निदेशों के तहत काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस संदर्भ में कोई पूर्व परामर्श नहीं किया गया, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम और बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा अनिवार्य है। इसके अलावा, संबंधित बैंक बोर्डों की सहमति स्पष्ट तौर पर सरकार के निदेशों के अनुसार जबरन और मजबूरी में ली गई है। बैंक बोर्ड के फैसले में बैंक के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के तहत अनिवार्य रूप से अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनिधि निदेशकों के मत लिए जाने होते हैं। इन पदों को सरकार ने तीन साल से अधिक समय से नहीं भरा है जबकि इससे संबंधित अक्क्डउ की एक अन्य याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी दिए गए हैं। भारत सरकार ने एक मॉडल प्रमोटर की तरह काम नहीं किया है और इसके बजाय बैंक बोर्डों के लिए एक महत्वपूर्ण साथी को प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय ने सभी संबंधित फाइलों / अभिलेखों और बैठकों के मिनटों को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी पूर्व निर्देश को भी दोहराया और 13 फरवरी को अंतिम सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। याचिका फैसले के गुणों पर भी सवाल उठाती है, विशेष रूप से विजया बैंक की, जो कि वर्तमान में एक सकारात्मक रिटर्न ऑन एसेट के साथ एक लाभदायक बैंक है और निकटवर्ती मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से भी एक नकारात्मक रिटर्न ऑफ एसेट के साथ एक बड़ी इकाई बनाने के लिए विलय हो जाएगा।

वायु प्रदूषण : फॉक्सवैगन पर 171 करोड़ का जुर्माना

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 जनवरी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की चार सदस्यीय कमेटी ने जर्मनी की वाहन कंपनी फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाने की सिफारिश की है। कंपनी पर यह जुमार्ना अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) के उत्सर्जन के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य को हुए नुकसान को लेकर लगाया गया है।

विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि फॉक्सवैगन की कारों ने राजधानी दिल्ली में 2016 में लगभग 48.68 टन एनओएक्स उत्सर्जन किए।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अतिरिक्त एनओएक्स उत्सर्जन के कारण स्वास्थ्य को नुकसान हुआ और दिल्ली को जैसे महानगरों को आधार मानते हुए मूल्य के हिसाब से यह नुकसान करीब 171.34 करोड़ रुपये का है। यह आंकड़ा मोटा-मोटी हो सकता है। इसका कारण देश में पर्यावरण पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कुल प्रभाव के आंकलन के तरीकों का अभाव होना है। इसीलिए केवल स्वास्थ्य नुकसान का आंकलन किया गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषित करता है और यह हृदय और फेफड़े की बीमारी का कारण है।

चार सदस्यीय कमेटी में एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) की निदेशक रश्मि उर्द्धवर्शी, सीएसआईआर-एनईईआरआई के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. नितिन लाभसेतवार, भारी उद्योग मंत्रालय में निदेशक रामाकांत सिंह तथा सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गरगवा हैं।

एनजीटी ने इस मामले में सुझाव देने के लिए समिति का गठन पिछले साल 16 नवंबर को किया। समिति को इस बात पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या विनिमार्ता ने निर्धारित पर्यावरण नियमों का अनुपालन नहीं किया। साथ ही इससे पर्यावरण को हुए नुकसान का आंकलन करने को कहा गया था।

कमेटी ने एनजीटी से कहा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत वाहन हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे प्रमुख और प्रचलित रूप नाइट्रोजन डाईऑक्साइड है। उसने कहा कि हवा में नाइट्रोजन डाईऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से अस्थमा होने का खतरा है और इससे श्वसन संबंधी बीमारी बढ़ सकती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, श्री राजीव बंसल नई दिल्ली में ate संक्रान्ति क्षेम महोत्सव- 2019 का उद्घाटन करने के लिए दीप प्रज्वलित करते हुए।

वरिष्ठ साहित्यकार नामवर सिंह एम्स में भर्ती

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 जनवरी

हिंदी के प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह को सिर और पसली में चोट लगने के बाद एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनके परिजनों ने बताया कि साहित्यकार नामवर सिंह शिवालिक अपार्टमेंट स्थित अपने घर में सोमवार की रात करीब दो बजे किसी काम से उठे थे और फिसल कर गिर पड़े। गिरने के कारण उनके सिर और पसलियों में चोट लगी है। इसके बाद उनके परिजन उन्हें नजदीकी नर्सिंग होम लेकर गए। वहां सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें एम्स रेफर कर दिया। मंगलवार शाम को करीब तीन बजे उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर लाया गया है। यहां वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें आईसीयू में भी शिफ्ट किया जा सकता है। 28 जुलाई 1926 को बनारस के गांव जीयनपुर (अब चंदौली) में पैदा हुए नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में काशी विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी। बाद में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया, लेकिन सबसे लंबे समय तक वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याल में रहे। यहां से रिटायर होने के बाद भी वे एमिरिटेस प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते रहे।

कौमी तंजीम और कांग्रेस के कार्यकताओं ने मनाया तारिक अनवर का जन्मदिन

भूपेश जैन
नई दिल्ली, 16 जनवरी

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का आज जन्मदिन उनके आवास पर दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम हरियाणा प्रदेश कौमी तंजीम यूथ कांग्रेस समेत कई संस्थाओं के लोगों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम के अध्यक्ष अब्दुल समी सलमानी, फजले मसूद, राजा अंसारी, हकीम अयाज हाशमी, बिलाल अहमद युथ कांग्रेस, हाजी आरिफीन मंसूरी अध्यक्ष मंसूरी समाज, शरीफ अहमद इदरीसी, चौधरी शरीफ अहमद सदस्य दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत सैकड़ों के तादाद में लोगों ने केक काटकर तारिक अनवर को लंबे जीवन की दुआ दी। सभी लोगों ने तारिक अनवर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तारिक अनवर के नेतृत्व में देश ने कई बड़ी

उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि तारिक अनवर ने हमेशा दबे कुचले गरीब पीड़ित शोषित और वंचित समाज के लोगों की आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि टाडा के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मामला हो या बाबरी मस्जिद के हक में आवाज बुलंद करने का मामला हो हमेशा तारिक अनवर ने मुखर होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और कौमी तंजीम के अधिवेशन में वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद दो दोबारा बनाने का वादा किया था।

इस मौके पर तारिक अनवर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग बीजेपी जैसी संप्रदायिक पार्टी को 2019 में मुंहतोड़ जवाब देंगे और वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी में एक विश्वास नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बनाई है जो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं, और आज अगर गरीब मजदूर और किसान को किसी ने राहत देने का काम किया है तो वह कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा से लेकर गरीब को रोजगार, सब को शिक्षा कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई है और 2019 में कांग्रेस मुखर होकर संप्रदायिक शक्तियों को जवाब देगी।

जेपी के प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों को घर मिलने की उम्मीद बढ़ी

महालक्ष्मी ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 जनवरी

सरकारी क्षेत्र की रियल एस्टेट कंपनी एनबीसीसी, जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट खरीदने से बस एक कदम दूर रह गई है। ह्यहिन्दुस्तान' को मिली जानकारी के मुताबिक, एनबीसीसी की कारोबारी सुची में ये प्रोजेक्ट सबसे ऊपर हैं। कंपनी ने इन प्रोजेक्ट के लिए समाधान की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस महीने के आखिर तक कंपनी को समाधान योजना सौंपनी है। कर्ज में बुरी तरह डूबी इस कंपनी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में घर खरीदारों को राहत दिलाने के लिए नई योजना पर चल रहा काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जेपी इंफ्राटेक के विश टाउन और यमुना एक्सप्रेस-वे के प्रोजेक्ट के लिए पिछले महीने बोलियां मंगाई गई थीं जिसमें एनबीसीसी ने भी ह्यएक्सप्रेशन ऑफ इंट्रिस्ट' दिया था। एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रिस्ट के आधार पर एनबीसीसी समेत चार कंपनियां चुनी गई हैं। इनसे अब घर खरीदारों के लिए समाधान की योजना बनाकर 27 जनवरी तक सौंपने को कहा गया है।

एनबीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ह्यहिन्दुस्तान' को बताया कि ये प्रोजेक्ट कंपनी की प्राथमिकता सुची में सबसे ऊपर हैं। कंपनी इन प्रोजेक्ट को एक बड़े कारोबारी अवसर और सामाजिक क्षेत्र के लिए अहम योगदान के तौर पर देख रही है। सूत्रों ने ह्यहिन्दुस्तान' को बताया कि एनबीसीसी ने पूरे प्रोजेक्ट का सर्वे कर लिया है। बोली की प्रक्रिया के नतीजे मार्च तक आने के आसार हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट मिलने के बाद अप्रैल महीने से एनबीसीसी इन पर काम शुरू कर सकता है। शुरूआती योजना के तहत कंपनी, प्रोजेक्ट मिलने के तीन से छह महीनों के भीतर घरों की चाबी खरीदारों को देना शुरू कर देगी। पहले दौर में कंपनी उन घरों का काम तेजी से पूरा करेगी जहां ज्यादातर काम हो चुका है और केवल फिनिशिंग बाकी है। उसके बाद एनबीसीसी अगले दो साल में सभी खरीदारों को घर सौंपने की योजना के साथ काम करेगी।

मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटेड
(CIN: L74899DL1994PLC057941)
पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005 फोन : +91-011-41450121
ई-मेल moongipas@gmail.com वेबसाइट : www.moongipa.net

सूचना
सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 31 जनवरी 2019 को होगी, जिसमें कम्पनी के 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही और 9 माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।
निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.moongipa.net और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते मूंगिप्पा सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता/-
संजीव जैन
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान : दिल्ली
दिनांक : जनवरी 16, 2019

मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड
(CIN: L65993DL1987PLC028669)
पंजीकृत कार्यालय : 18/14, डब्ल्यू.ई.ए. पूसा लेन, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005 फोन : 011-41450121
ई-मेल moongipac@gmail.com वेबसाइट : www.mongipa.com

सूचना
सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार 31 जनवरी 2019 को होगी, जिसमें कम्पनी के 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही और 9 माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर स्वीकृत किया जाएगा।
निवेशक इस संबंध में और विवरण के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.mongipa.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते मूंगिप्पा कैपिटल फाइनेंस लिमिटिड
हस्ता/-
लक्ष्य बुडेजा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान : दिल्ली
दिनांक : जनवरी 16, 2019